समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक-1835/गो0,दिनांक-09.09.2013 तथा बेतार संवाद संख्या- 462/वि0, दिनांक-08.10.2013 द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों के भौतिक सत्यापन एवं डाटाबेस तैयार करने हेतु क्रमशः 04.10.2013 एवं 05.10.2013 तथा दिनांक-19.10.2013 को अपने संबंधित थाना में उपस्थित होकर विहित प्रपत्र में विवरणी भरकर अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु निदेश दिया गया था के फलस्वरुप. इनके द्वारा विहित प्रपत्र में विवरणी भरकर अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराये जाने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 08/शस्त्र, दिनांक 16-01-2015 के द्वारा श्री कीर्ति नारायण यादव, पिता-स्व0 गोरेलाल यादव, सा0-आजाद नगर,वार्ड नं0-9, थाना+जिला-मधेपुरा से अपने अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित प्रपत्र में विवरणी भरकर समर्पित नहीं किए जाने के कारण उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई थी।

श्री कीर्ति नारायण यादव के द्वारा दिनांक 28-01-2015 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि ये अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं डाटाबेस विहित प्रपत्र में विवरणी भरकर बाहर रहने एवं जानकारी के अभाव के कारण निश्चित तिथि को नहीं करा सकें, के फलस्वरूप जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा द्वारा इस कार्यालय के ज्ञापांक-50/श0,दिनांक-25.02.2015 के द्वारा कारण-पृच्छा साक्ष्य सहित की मांग की गई।

श्री यादव के द्वारा दिनांक-21.03.2015 को समर्पित कारण-पृच्छा में स्पष्ट उल्लेख है कि इलाज के दौरान दो महिना तक पटना और दिल्ली एम्स में रहे हैं। जबकि इलाज से सम्बन्धित साक्ष्य उपलब्ध करना मेरे लिए बिल्कुल संभव नहीं है। इनके द्वारा समर्पित जवाव असंतोषजनक, तथ्य से परे एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्तो का उल्लंधन है।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में अनुज्ञप्ति शर्त्त एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 17 का उल्लंधन मानते हुए अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके नाम से निर्गत दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या-164/DM/GSP/67 को रद्द किया जाता है तथा अनुज्ञप्तिधारी श्री कीर्ति नारायण यादव, पिता-स्व0 गोरेलाल यादव, सा0-आजाद नगर,वार्ड नं0-9, थाना+जिला-मधेपुरा को आदेश दिया जाता है वे अपना शस्त्र अनुज्ञप्ति मूल में जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा एवं उस पर धारित शस्त्र मधेपुरा थाना के मालखाना अथवा बिहार गन हाउस, मधेपुरा में पत्र प्राप्ति के 24 धंटा के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे श्री कीर्ति नारायण यादव द्वारा समर्पित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं शस्त्र शाखा में संधारित मूल अनुज्ञप्ति पंजी में "रद्द" प्रविष्टि करवा कर हस्ताक्षर पृष्टांकित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक 102 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 10.04.2015

प्रतिलिपि : जिला दण्डाधिकारी, गुरुदासपुर (पंजाब)/पुलिस अधीक्षक, गुरुदासपुर (पंजाब) को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल दण्डाधिकारी, मधेपुरा /थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री कीर्ति नारायण यादव, पिता-स्व0 गोरेलाल यादव, सा0-आजाद नगर,वार्ड नं0-9, थाना+जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

10/04/15
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।